भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1341
उत्तर देने की तारीख-11/12/2023

राज्यों द्वारा अपने स्कूल का पाठ्यक्रम स्वयं तैयार करना

†1341. श्री ए. राजा:
श्री ए. गणेशमूर्तिः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को देश में स्कूलों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार करने हेतु शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) "स्कूल शिक्षा" विषय को समवर्ती सूची में कब तक शामिल कर लिया जाएगा;
(घ) कितने राज्यों ने एनसीईआरटी के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को अस्वीकार कर दिया है और एससीईआरटी और राज्य शैक्षिक संस्थान जैसी राज्य एजेंसियों के माध्यम से अपना स्वयं का पाठ्यक्रम तैयार किया है;
(ङ) सरकार द्वारा राज्यों के लिए एनसीएफ पर आधारित अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित करने के लिए एनसीएफ पर जोर दिए जाने के क्या कारण हैं; और
(च) केन्द्र सरकार की शिक्षा नीति को उन राज्यों पर थोपे जाने के क्या कारण हैं जिनकी संस्कृतियां, परंपराएं और लोकाचार भिन्न-भिन्न हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (च): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने और अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (6) के खंड (क) के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अकादमिक प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया है। एनसीएफ एक निर्देशात्मक दस्तावेज नहीं है और सुझावात्मक/ अनुशंसात्मक प्रकृति का है।

चूँकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है; यह संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह या तो एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को अपनाए अथवा उसके अनुकूल पाठ्यपुस्तकें बनाएं या एनसीएफ के आधार पर अपनी स्वयं की पाठ्यपुस्तकें विकसित करे। एनसीएफ स्कूली शिक्षा के संघीय ढांचे को सक्षम बनाता है, जिसमें राज्य अंततः अपने राज्य या क्षेत्रीय पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, जिसमें स्थानीय तत्वों को आसानी से शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में प्रावधान है कि राज्य आवश्यकतानुसार राज्य संबंधी विशिष्टताओं और सामग्री को शामिल करते हुए अपनी स्वयं की पाठ्यचर्या (जो कि एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ (एनसीएफ-एसई) पर आधारित हो सकती है) तैयार करेंगे।

*****